भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 928
जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है

न्यायालय परिसरों में मूलभूत सुविधाएं

928. श्री संजय काका पाटील :
डॉ. के. जयकुमार :
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत कौन- कौन सी परियोजनाएं प्रस्तावित है ;
(ख) न्यायपालिका के लिए मूलभूत सुविधाओं हेतु स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधियों/अनुदानों का ब्यौरा क्या है और सीएसएस की स्थापना से लेकर अब तक इससे लाभान्वित हुए अधीनस्थ न्यायालयों की बिहार सहित राज्य-वार संख्या कितनी है ;
(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ निधियों के महत्वपूर्ण भाग का उपयोग नहीं हो पाता है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ;
(घ) क्या अनेक जिले/अधीनस्थ न्यायालय अभी भी अवसंरचनात्मक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उनमें न्यायालय कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय और अभिलेख कक्ष जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसके फलस्वरूप सभी को न्याय प्रदान करने के उद्देश्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा है और यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;
(ङ) क्या सभी को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय न्यायपालिका में सभी रिक्त पदों को भरने हेतु राज्यों को कोई निदेश जारी किए गए हैं ; और
(च) यदि हां, तो इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : विधि और न्याय मंत्रालय वर्ष 1993-94 से न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) कार्यान्वित कर रहा है ताकि जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायालय भवनों और न्यायिक अधिकारियों के आवास गृहों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धि की जा सके। यह स्कीम जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों के लिए न्यायालय भवनों और आवास गृहों के निर्माण के लिए परियोजनाएं चलाती हैं और 2021-22 से, अधिवक्ताओं और वादियों की सुविधा के लिए अधिवक्ता हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर रूम के निर्माण जैसे 3 नए घटकों को स्कीम में शामिल किया गया है। यह स्कीम ऐसे न्यायालय भवनों और आवासीय परिसरों के नए निर्माण और उन्नयन / नवीकरण की अनुमति देती है। तथापि, इस स्कीम के अधीन नियमित रखरखाव या अनुरक्षण की अनुमति नहीं है। जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका की अवसंरचना के विकास का उत्तरदायित्व प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का है और केन्द्रीय सरकार उपर्युक्त स्कीम के माध्यम से राज्य सरकार के संसाधनों में सहायता करती है।

(ख) : इस स्कीम के अधीन 1993-94 में इसके आरंभ के पश्चात् से 10443.75 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है, जिसमें से 2014-15 से 6999.44 करोड़ रुपये (67.02%) जारी किए गए हैं, जिसमें आज की तारीख तक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 577.16 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा, उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, न्यायिक अधिकारियों की 25,420 की स्वीकृत संख्या और 20,017 कार्यरत संख्या के मुकाबले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 21,507 न्यायालय हॉल और 18,882 आवासीय इकाइयां उपलब्ध हैं और 30.11.2023 की स्थिति के अनुसार 3,109 न्यायालय हॉल और 1,807 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन हैं। बिहार राज्य सहित न्यायिक जनशक्ति (संस्वीकृत और कार्यशील संख्या) और न्यायिक अवसंरचना (उपलब्ध और निर्माणाधीन न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों) के संबंध में आरंभ से अब तक जारी निधियों और वर्तमान स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा **उपाबंध** में दिया गया है।

(ग) : जी नहीं । न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन आबंटन और चालू वर्ष सहित पिछले पांच वित्तीय वर्षों में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां निम्नानुसार हैं :

वर्ष	बजट आवंटन (करोड़ रुपये में)	जारी (करोड़ रुपये में)	प्रतिशत
2019-20	982.00	982.00	100%
2020-21	593.00	593.00	100%
2021-22	770.44	684.19	88%
2022-23	848.00	848.00	100%
2023-24	1051.00	577.16*	54%

* 6 दिसंबर, 2023 की स्थिति के अनुसार

वर्तमान पीएफएमएस दिशा-निर्देशों के अनुसार जब तक पिछले वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों का उपयोग नहीं किया जाता है, तब तक चालू वित्तीय वर्ष के लिए निधियां जारी नहीं की जाती हैं।

(घ) : 25,420 की स्वीकृत संख्या और 20,017 न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत संख्या के मुकाबले, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 21,507 न्यायालय हॉल और 18,882 आवासीय इकाइयां उपलब्ध हैं और 30.11.2023 तक 3,109 न्यायालय हॉल और 1,807 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन हैं। बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए, इस स्कीम के लिए 5307.00 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से सहित 9000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ इस योजना को 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के अलावा, डिजिटल कंप्यूटर रूम, अधिवक्ताओं के हॉल और शौचालय परिसरों के नए घटकों को भी उपरोक्त स्कीम के दायरे में जोड़ा गया है।

(ङ) और (च) : जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहर सुल्तान मामले में जनवरी, 2007 में एक न्यायिक आदेश के माध्यम से यह निर्धारित किया था कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती की प्रक्रिया कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को आरंभ होगी और उसी वर्ष 31 अक्टूबर तक समाप्त होगी। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों और क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रारों को न्यायिक रिक्तियों को भरने के संबंध में स्थिति की जानकारी देने का निदेश दिया और इसकी निगरानी की जा रही है ।

****

उपाबंध

'न्यायालय परिसरों में मूलभूत सुविधाएं' से संबंधित लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 928 जिसका उत्तर 8.12.2023 को दिया जाना, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

न्यायपालिका के लिए अवसंरचना के विकास हेतु सीएसएस के अधीन जारी राज्य-वार निधियों के सामने जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक जनशक्ति और न्यायिक अवसंरचना का राज्य-वार विवरण ।

क्र. सं.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र	आरंभ से जारी की गई निधियां (करोड़ रु. में)	कुल स्वीकृत संख्या	कुल कार्यरत संख्या	उपलब्ध न्यायालय हाल	निर्माणाधीन न्यायालय हाल	उपलब्ध आवासीय इकाइयां	निर्माणाधीन आवासीय इकाइयां
1	अंदमान और निकोबार	13.38	17	13	17	0	10	0
2	आंध्र प्रदेश	227.24	618	536	647	90	574	15
3	अरुणाचल प्रदेश	91.72	44	34	34	4	32	3
4	असम	303.74	485	439	431	101	371	19
5	बिहार	447.07	2016	1543	1539	86	1202	82
6	चंडीगढ़	39.01	30	29	31	1	30	0
7	छत्तीसगढ़	179.16	556	424	488	38	457	434
8	दादरा और नागर हवेली	7.06	3	2	3	0	3	0
9	दमण और दीव	2.32	4	4	5	3	5	0
10	दिल्ली	337.90	887	799	699	50	348	70
11	गोवा	48.36	50	40	53	36	26	0
12	गुजरात	649.50	1720	1176	1531	140	1337	29
13	हरियाणा	225.93	772	565	566	75	514	65
14	हिमाचल प्रदेश	51.29	179	158	170	14	154	1
15	जम्मू - कश्मीर	251.07	317	224	201	46	136	8
16	झारखंड	247.37	693	501	652	12	580	0
17	कर्नाटक	839.62	1367	1152	1199	206	1158	124
18	केरल	195.51	605	514	568	46	543	26
19	लद्दाख	0.00	17	10	11	0	4	0
20	लक्षद्वीप	0.51	4	3	3	0	3	0
21	मध्य प्रदेश	752.05	2028	1734	1560	414	1690	105
22	महाराष्ट्र	936.28	2190	1940	2350	599	2055	157
23	मणिपुर	97.80	59	49	43	5	16	0
24	मेघालय	215.74	99	57	53	28	26	65
25	मिजोरम	87.54	74	46	47	32	37	8
26	नागालैंड	137.25	34	24	30	9	39	0
27	ओडिशा	179.12	1006	804	826	177	727	90
28	पुदुचेरी	71.95	29	10	36	0	36	0
29	पंजाब	602.00	797	585	610	72	617	36
30	राजस्थान	427.66	1637	1342	1382	248	1128	120
31	सिक्किम	59.57	35	23	20	2	17	1
32	तमिलनाडु	433.79	1369	1040	1239	16	1369	0
33	तेलंगाना	58.26	560	445	537	69	475	8
34	त्रिपुरा	137.58	128	108	82	22	91	26
35	उत्तर प्रदेश	1582.29	3696	2455	2756	302	2436	286
36	उत्तराखंड	242.05	298	271	252	70	215	3
37	पश्चिमी बंगाल	265.06	997	918	836	96	421	26
योग		**10443.75**	**25420**	**20017**	**21507**	**3109**	**18882**	**1807**

****